IJAER/November-December 2013/Volume-2/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

# अनुसूचित जाति (सतनामी) समाज में जैतखाम का सामाजिक एवं धार्मिक महत्व : एक अध्ययन

शोध निर्देशिका
डॉ.आभा त्रिपाठी
सहा.प्रा. समाजशास्त्र
शास.स्नातको.कला एवं वाणिज्य महावि.
बिलासपुर (छ.ग.)

शोधार्थी
डॉ.अनिता पाण्डेय

प्रस्तुत अध्ययन में अनुसूचित जाति सतनामी समाज में जैतखाम के सामाजिक एवं धार्मिक महत्व को स्पष्ट किया गया है । जैतखाम सद्कर्म सदाचरण सम्मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है । मेहनत पर भरोसा करना अपने अधिकारों की रक्षा करना तथा कर्तव्य पालन करना सिखलाता है ।

जैतखाम :

जैतखाम का इतिहास सतनामी समाज के अभ्युदय परिचय, औरंगजेब के विरूद्ध सन् 1672 ई. में हुए सतनामी विद्रोह के रूप में मिलता है । छत्तीसगढ़ के सतनामियों की यह मान्यता है कि औरंगजेब की धार्मिक कायरता के विरूद्ध सतनामियों ने विद्रोह किया था तथा शाही सेना को कई बार परास्त किया था । अंत में सतनामी पराजित हुए थे जो अपनी जान बचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में छुप गये थे वे अपने साथ प्रतीक चिन्ह जैतखाम भी लाये थे ।

जैतखाम सतनामी समाज का प्रतीक चिन्ह है गुरू घासीदास जी ने सतनामी समाज के अनुयायियों को अपने घरों एवं सार्वजनिक स्थानों में पूजा अर्चना कर जैतखाम गड़ाने हेतु कहा था । किसी मुहल्ले से जैतखाम को देखकर यह पता लग जाता है कि यह सतनामी मोहल्ला है । 20 वीं सदी के पूर्वार्द्ध में भाद्र कृष्णाष्टमी आश्विन शुक्ल दशमी तथा माघ पूर्णिमा को जैतखाम में श्वेत ध्वज फहराया जाता है । सतनामी समाज में वैचारिक क्रांति के कारण प्रतिवर्ष 18 दिसम्बर को बड़े धूमधाम से पंथी, नृत्य, पूजा, अर्चना कर जैतखाम में सफेद झंडा वंदन किया जाता है ।

जैतखाम को पालों दूरपत्ता व निशाना स्वरूपों के रूप में जाना जाता है । पालो जैतखाम का लघु रूप है इसे सतनामी अपने घर में निर्दिष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं । वर्ष में एक बार इस पर मंगल पद पंथी गीत एवं झांझ मंजीरा के साथ धूमधाम से झण्डा चढ़ाया जाता है । इस अवसर पर स्वजनों के साथ सहभोज करते हैं । दूरपत्ता का अर्थ है जिसने हमारी पत (इज्जत) को बचाया है । निशाना जैतखाम का ही लघु रूप है ।

जैतखाम में सफेद वस्त्र झण्डा होना अनिवार्य है । सफेद झंडा शांति व अहिंसा का प्रतीक है । जैतखाम में मुख्यतः पाँच भाग होते हैं – 1. चबूतरा 2. खम्भा (खाम) 3. तीनहुक 4. बांस 5. श्वेत ध्वज ।

ये भाग मानवीय मूल्यों को स्पष्ट करते हैं चतूबतरा विश्वास का, तीन हुक सत्य, अहिंसा, करूणा को, बांस काक, झण्डा सुरक्षा को, श्वेत ध्वज शांति व स्वच्छता व जैतखाम एकता व अखण्डता रूपी मानवीय मूल्यों को प्रदर्शित करता है । वास्तव में जैतखाम समाज में फैली बुराई, छुआछूत, अशिक्षा, चोरी, मांस भक्षण निषेध, सदा सत्य बोलो, जीव हत्या पर विजय स्तंभ है । इस प्रकार जैतखाम सतनामी समाज का अलिखित ग्रंथ है ।

जैतखाम से शिक्षा :

1. मानव – मानव एक है ।

2. सम्मान से जीना सिखलाता है । असमानता को दूर करता है तथा अपने पथ पर अटल रहने का संदेश देता है ।
3. सद्कर्म, सदाचरण, सम्मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है । मेहनत पर भरोसा रखना, आलसी नहीं बनने को कहता है ।
4. अपने अधिकारों की रक्षा करना तथा कर्तव्य पालन करना सिखलाता है ।
5. जन्म–मरण के चक्कर से दूर करता है ।

जैतखाम का धार्मिक संदेश :

1. सतनाम पर अडिग रहना ।
2. रूढ़िवादिता बाह्य आडम्बर परंपरावादिता से दूर रहना ।
3. अपने धर्म का पालन करना, किसी के धर्म की निंदा न करना, अंध विश्वासी न बनना ।
4. सतनाम के प्रचार–प्रसार में तन–मन–धन तथा मनसा, वाचा, कर्मणा से लगे रहना ।
5. मानव धर्म ही सच्चा है ।

जैतखाम का धार्मिक महत्व :

मानव जगत को विदित है कि जैतखाम की स्थापना बिना सतनामी के नहीं हो सकती, जब तक सतनाम मंगल गान, पंथी एवं आरती गाकर जैतखाम नहीं उठायेगा तब तक कोई भी उसे स्थापित नहीं कर सकता है । जैतखाम चाहे तालाब के मध्य हो या किसी मुहल्ले में स्थापित करे, सतनामी ही उसे उठा सकता है अन्य कोई नहीं । इस प्रकार जैतखाम सतनामियों को अपने प्रतीकात्मक अर्थ के अनुसार आचरण करने की प्रेरणा देते हैं ।

सामाजिक व्यवस्था :

जगत गुरू गोसाई सतनामी समाज के प्रथम ही नहीं सर्वोच्च संचालक नियंत्रक तथा आदेशक व्यक्ति होते हैं ।

ग्राम व्यवस्था :

प्रत्येक गांव में एक एक भंडारी एक छड़ीदार होते हैं । इनके सहायक के रूप में बस्ती से सात प्रमुख संतों को चुना जाता है । इनके सहयोग से ही सतनामी आचार संहिता का पालन कराया जाता है । जैसे प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूपेण शाकाहारी रहना पड़ता है तथा पूर्ण रूपेण नशीले पदार्थो का परित्याग करना पड़ता है ।

अडगवां कमेटी :

गांव के लोग सामाजिक न्याय नहीं कर सकते तब भण्डारी और छड़ीदार मिलकर अडगवां कमेटी के पास आरोप प्रस्तुत करते हैं । आठ गांवों के लोग किसी एक गांव में एकत्र होते है जहाँ सामाजिक और धार्मिक रूप से न्याय किया जाता है । अडगवां कमेटी के प्रधान निर्णय के विरूद्ध सर्किल कमेटी में आरोप प्रस्तुत होता है । अडगवां कमेटी का प्रधान निर्णायक अडगंवा महन्त होता है । सर्किल कमेटी का सर्किल महंत है इसे व्यालासी बैठक भी कहते हैं सर्किल कमेटी असफल होने पर तहसील महंत के पास मामला प्रस्तुत होता है । जिला महंत का निर्णय असफल होने पर राजमहंत लोग जगत गुरू गोसाई के साथ निर्णय करते हैं । सम्पूर्ण सतनामी जगत में केवल सातराज महंत होते हैं । एक बार महंती पद प्राप्त होने पर आजीवन वे महंत पद पर बने रहते हैं और मरने के बाद भी यह जरूरी नहीं होता है कि उनके ही वंशज महंत रहे । महंती पद पर प्रथम उत्तराधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाती है । अगर वे पूर्णतः उस लायक हो अन्यथा समाज के किसी भी व्यक्ति को पदारूढ़ किया जा सकता है ।

दण्ड देने की प्रक्रिया :

1. बन्डर छोड़ा जाता है निलम्बन किया जाता है परितारणा किया जाता है ।
2. चेतावनी देकर माफ किया जाता है ।
3. मर्रीभात दण्ड दी जाती है अर्थात् अनगिनत व्यक्तियों का निमंत्रण ।
4. जनेऊ और कंठी तोड़ दिया जाता है ।

पांचवे चरण में सतनामी आचार संहिता अडगवां कमेटी के नियमानुसार अंतिम समय महासभा का आयोजन किया जाता है । यह महासभा जो निर्णय देगी या सब मिलकर जो निर्णय देंगे वह अंतिम होता है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. देसाई नीरा – भारतीय समाज में नारी मेकमिलन इंडिया लिमिटेड,नई दिल्ली 1982, पेज नं. 135
2. वारले सरयू प्रसाद – सतनाम एवं सतनाम धर्म सत्य ध्वज स्मारिका
3. भारद्वाज ए.एन. – प्राब्लम्स आफ शिडयूल्ड कास्ट्स एण्ड शिडयूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया लाईट एण्ड लाईफ इन इंडिया
4. हट्टन जे.एन. – कास्ट इन इंडिया 1955 ।